कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–प.37 (विविध) गृरमु/पीएसएएल/2020/3768 दिनांकः– 02 MAR 2021

समस्त अनुज्ञाधारी,
निजी सुरक्षा अभिकरण
राजस्थान।

विषय :– प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन), नियम, 2006 की पालना सुनिश्चित करने के क्रम में।

राजस्थान राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006, राजस्थान निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2019 व राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 के द्वारा राज्य में निजी सुरक्षा का व्यवसाय करने के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण का लाइसेन्स लेने, अभिकरण का संचालन करने एंव पूर्व में जारीशुदा लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने हेतु निजी सुरक्षा अभिकरणों की सभी गतिविधियों को विनियमित किया गया है।

राजस्थान राज्य में संचालित सभी निजी सुरक्षा अभिकरणों के अनुज्ञाधारियों द्वारा उपरोक्तानुसार अधिनियम एवं नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार अभिकरण का संचालन किया जा रहा होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि कई अनुज्ञाधारक निजी सुरक्षा अभिकरण के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि (लाइसेन्स की वैधता अवधि समाप्ति के कम से कम 45 दिवस पूर्व) में प्रस्तुत नही कर रहे है तथा अभिकरण के संचालन के दौरान पसार एक्ट व नियमों में वर्णित अनुज्ञप्ति शर्तो की पूर्णतया पालना नही कि जा रही है।

आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बिना वैद्य लाइसेन्स या अभिकरण के लाइसेन्स की वैद्यता अवधि समाप्ति के बाद भी गार्डस का नियोजन किया जाना पाये जाने तथा पसारा के प्रावधानों/नियमो के उपबंधो का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर पसार एक्ट 2005 की धारा 20 के तहत लाइसेन्स के निलम्बन/रद्दकरण के अतिरिक्त कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की या जूर्माना 25,000/– रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनो सें दण्डनीय होगा।

नवीनीकरण हेतु निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नही होने पर अधिनियम की धारा 8(1) व अनुज्ञप्ति की शर्तो का अतिक्रमण किया जाना पाये जाने पर राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिट एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के नियम 13 के तहत नवीनीकरण आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

अतः सभी अनुज्ञाधारी अपरोक्तानुसार प्रावधानो एवं नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करें।

(यू.आर. साहू IPS)
(नियंत्रक प्राधिकारी)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर